

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 239/2009/कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त-ए, कोटा

अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स हुसैन ट्रेडर्स
कोटा

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री एम.एल. नेहरा, सदस्य

उपस्थित:

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

श्री अख्तर हुसैन अन्सारी

अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 06.01.2016

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर, वृत्त-ए, कोटा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 99/आरएसटी/2001-02 में पारित संशोधन आदेश दिनांक 22.08.2008 के विरुद्ध पेश की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 1997-98 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.09.1999 को पारित किया गया था, जिसमें हैण्ड पम्प के विक्रय पर 2 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया था जबकि यह वस्तु 12 प्रतिशत से कर योग्य थी, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 30 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी व्यवहारी को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए हैण्ड पम्प एवं उसके पार्ट्स को 12 प्रतिशत से कर योग्य मानते हुए उसकी बिक्री रु. 5,62,744/रु. पर अन्तर कर रु. 56,277/- एवं इसको बकाया मानते हुए ब्याज रु. 51,773/- कुल रु. 1,08,050/- आरोपित किया, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा संशोधन आदेश दिनांक 22.08.2008 से अपास्त किया गया है, जिसके विरुद्ध यह अपील विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2008 विधि एवं प्रकरण के तथ्यों के विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तु हैण्ड पम्प एवं उसके पार्ट्स 12 प्रतिशत





से कर योग्य होने से कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत प्रकरण रिओपन कर अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया है, जिसको उन्होंने अविधिक रूप से अपास्त किया है। उनका कथन है कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 4(1)एफडी/टैक्स/197-101 दिनांक 12.03.97 की प्रविष्टि संख्या 7(ए) में "water pumping sets including parts thereof but excluding those sets with motor having capacity upto one horse power" अंकित है और इस पर 2 प्रतिशत की कर दर निर्धारित की गई है। उनका कथन है कि उक्त अधिसूचना से ही स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि हैण्ड पम्प मानव चलित है एवं मानव की शक्ति एक हार्स पावर से अधिक नहीं हो सकती। उनका कथन है कि सामान्यतया मानव की शक्ति 1/7 हार्स पावर के बराबर माने जाने का प्रचलन है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधिक बताते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उसके विद्वान अभिभाषक ने संशोधन आदेश दिनांक 22.08.2008 में उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए कथन किया कि उक्त अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 7 के अनुसार वाटर पम्पिंग सेट्स एवं उनके पर्जे दो प्रतिशत की दर से कर योग्य है किन्तु इनमें ऐसे वाटर पम्पस सेट्स शामिल नहीं हैं जो एक अश्वशक्ति तक की क्षमता रखते हों। उनका कथन है कि कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठों द्वारा पारित निर्णयों, जिनका अपीलीय आदेश में उद्धरण अंकित है, से आच्छादित होने से विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 1997-98 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.09.1999 को पारित किया गया था, जिसमें हैण्ड पम्प के विक्रय पर 2 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया था जबकि यह वस्तु 12 प्रतिशत से कर योग्य थी, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी व्यवहारी को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए हैण्ड पम्प एवं उसके पार्ट्स को 12 प्रतिशत से कर योग्य मानते हुए उसकी बिक्री रु. 5,62,744/रु. पर अन्तर कर रु. 56,277/- एवं इसको बकाया मानते हुए ब्याज रु.

73

51,773/- कुल रू. 1,08,050/- आरोपित किया, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा संशोधन आदेश दिनांक 22.08.2008 से अपास्त किया गया है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश में राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 77/2007/कोटा मैसर्स एम.के.एम. मूसा भाई, बहादुर बाजार, कोटा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2008 के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को अपास्त किया है। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 4(1)एफडी/टैक्स/197-101 दिनांक 12.03.97 की प्रविष्टि संख्या 7(ए) को उद्धृत करते हुए बताया है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में हैण्ड पम्प को वाटर पम्पिंग सेट नहीं माना जाता है, इसलिए वे उक्त अधिसूचना से आच्छादित नहीं होते हैं इसलिए उसकी बिक्री पर 12 प्रतिशत से कर देय है। इस सम्बन्ध में माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त उद्धृत निर्णय में विस्तार से विवेचन किया है, जो निम्न प्रकार है :-

“अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त (1991) 9 आर टी जे एस 45 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, बारां, कोटा बनाम मैसर्स गणेश मशीनरी स्टोर, बारां अपील संख्या 40/86 में माननीय राजस्थान विक्रय कर अधिकरण द्वारा पारित निर्णय में हैण्डपम्प को वाटर पम्पिंग सेट की श्रेणी में माना गया है। अधिसूचना संख्या एफ.4(1)एफडी/टैक्स-डिवी./97-101 दिनांक 12.3.97 की सूची की प्रविष्टि संख्या 7 के अनुसार वाटर पम्पिंग सेट एवं उनके पुर्जे दो प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं किन्तु इनमें ऐसे वाटर पम्पिंग सेट्स शामिल नहीं हैं, जो एक अश्वशक्ति तक की क्षमता रखते हों। उक्त प्रविष्टि से यह स्पष्ट है कि इस प्रविष्टि में ऐसे वाटर पम्पिंग सेट्स को शामिल नहीं किया गया, जो एक अश्वशक्ति तक की क्षमता के हों। चूंकि हैण्डपम्प की कोई अश्वशक्ति ही नहीं होती है और चूंकि इसमें अश्वशक्ति संचालित नहीं होती है, इस कारण हैण्डपम्प को उक्त प्रविष्टि संख्या 7 से अलग किया जाना नहीं माना जा सकता। फलतः चूंकि हैण्डपम्प वाटर पम्पिंग सेट्स में शामिल है, इस कारण यह राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.3.97 के अनुसार दो प्रतिशत की दर से ही कर योग्य है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.8.99 को धारा 30 के अन्तर्गत पुनः खोलकर आदेश दिनांक 16.8.2001 के जरिये हैण्डपम्प को 12 प्रतिशत की दर से कर योग्य माना जाना विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है।”

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा जिस अधिसूचना के आधार पर हैण्ड पम्प व उसके पार्ट्स की बिक्री को 2 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत से कर देय अवधारित किया गया है, उसी अधिसूचना का निर्वचन करते हुए कर बोर्ड की माननीय समन्वय खण्डपीठ ने हैण्ड पम्प व उसे पार्ट्स की बिक्री को 12 प्रतिशत की दर से कर योग्य माने जाने को विधिक प्रावधानों के विरुद्ध माना है।

10

उद्धरित प्रकरण के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यो से पूर्णतया मेल खाते है,
अतः हस्तगत प्रकरण उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त से आच्छादित होने से विभाग की ओर
से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(एम.एल.नेहरा)
सदस्य


(सुनील शर्मा)
सदस्य